	आराजी को अनउपजाउ नहीं बनावे व प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से से जबरन बेदखल न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें व प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक अपने हिस्से का उपयोग उपभोग करने देवे। मैनें प्रकरण एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया व वकील वादीगण/प्रार्थीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन वादीगण/प्रार्थीगण के पक्ष का है। यदि विपक्षीगण वाद वर्णित आराजीयात से प्रार्थीगण को बेदखल कर दिए जाने पर प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 के विरूद्ध आगामी पेशी 27.10..2020 तक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम अमरगढ प0ह0 अमरगढ तहसील माण्डल के आराजी नम्बर 952 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा में अवैध खनन कार्य न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें और खनन का मलवा आराजी में फैलाकर आराजी को अनउपजाउ नहीं बनावे । तहसीलदार माण्डल 177 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत कार्यवाही करें। तहरीर जारी करें। आदेश –39 नियम –3 की पालना करे । हुक्म इन्तलाई चंद रोजा पेश करने पर जारी करे। पत्रावली दिनांक 27.10.. 2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी** **मांडल जिला भीलवाड़ा**
27-10-20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 24-11-20 को पेश हो। पूर्व का आदेश यथावत रहेगा। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
19-11-20 [illegible]	वकील प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जिसे शा.प. किया गया। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे बताया कि उक्त प्रकरण मे हमारे बीच आपसी राजीनामा हो चुका है। अब हम आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहने से प्रकरण इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। मूल वादपत्र का निस्तारण होने से अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी** **मांडल जिला भीलवाड़ा**

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.11.24 13:51:19 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner